विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम-मंगलवार के लिए निर्धारित श्री नरेश चन्द्र उत्तम, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-18 का उत्तर

प्रश्न

18 (क) क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछड़े वर्ग के कुल कितने छात्रों ने आवेदन किया है, उनमें से कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी है और कितने छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह गये है ?

उत्तर

अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्रों हेतु संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अन्य पिछड़े वर्ग के कुल 20,75,443 छात्रों ने आवेदन किया, जिनमें से मेरिट कटऑफ के आधार पर उपलब्ध बजट की सीमा तक पात्र कुल 15,96,455 छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की गयी तथा 4,78,988 छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान नहीं की जा सकी।

(ख) क्या प्रदेश में दशमोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के क्या मानक तय किये गये है ?

नियमावली के प्राविधानों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्रों, जिनके माता-पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2.00 लाख तक है, को गत वार्षिक परीक्षा प्राप्तांक प्रतिशत की मेरिट कटआफ के आधार पर उपलब्ध बजट की सीमा तक सर्व प्रथम कक्षा 11-12 के शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को 50 प्रतिशत की मेरिट कटआफ तक दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से लाभान्वित किये जाने के उपरान्त शेष उपलब्ध धनराशि से शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पात्र छात्रों को उनके मेरिट कटआफ के आधार पर उनके बैंक खातों में सीधे पी०एफ०एम०एस० पोर्टल के माध्यम से आधारबेस/एकाउन्टबेस दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान उपलब्ध बजट की सीमा तक किया जाता है।

सामान्य वर्ग के छात्रों जिनके माता-पिता की वार्षिक आय रू0 2.00 लाख तक है, के पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाती है। छात्रों को छात्रवृत्ति के अन्तर्गत मासिक दरों के आधार पर निर्धारित अनुरक्षण भत्ता तथा सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क अथवा समूहवार फीस की कैपिंग में से जो भी न्यूनतम हो, प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत सर्वप्रथम राजकीय संस्थान उसके पश्चात अनुदानित संस्थान तदोपरान्त निजी क्षेत्र के संस्थानों में

अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, उसके पश्चात नवीन छात्रों को इसी प्रकार छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक उक्त वरीयता के अनुसार छात्रों के आधार सीडेड बैंक खातों में धनराशि अंतरित की जाती है।

(ग) सामान्य वर्ग के छात्रों की तरह पिछड़े वर्ग के वंचित सभी छात्रों को छात्रवृत्ति कब तक प्रदान करायेंगे ?	दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्रों को वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट की सीमा तक कटऑफ मेरिट के आधार पर लाभान्वित करने का प्रावधान है।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

(नरेन्द्र कश्यप)
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।